

परिशिष्ट-अ

| क्र० | वर्ष | संस्थान का नाम                       | शिकायत कर्ता का नाम                 | शिकायत का कारण                           | स्थिति                      |                             |
|------|------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1    | 2016 | श्री सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट | श्री राजेश मिश्रा                   | सेवा पृथक्कीकरण                          | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |                             |
| 2    |      |                                      | श्री अभिताम सिंह                    | सेवा पृथक्कीकरण                          | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |                             |
| 3    |      |                                      | श्री सुरेश शुक्ल                    | सेवा पृथक्कीकरण                          | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |                             |
| 4    |      |                                      | श्री राजकरण त्रिपाठी                | सेवा पृथक्कीकरण                          | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |                             |
| 5    |      |                                      | श्री दिलीप त्रिपाठी                 | सेवा पृथक्कीकरण                          | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |                             |
| 1    | 2017 | श्री सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट | श्री हरिनारायण द्विवेदी             | सेवा पृथक्कीकरण                          | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |                             |
| 2    |      |                                      | दीनदयाल शोध संस्थान अरोग्यधाम परिसर | श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव               | सेवा पृथक्कीकरण             | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |
| 3    |      |                                      | वृद्ध आश्रम चित्रकूट                | श्री अजय कुमार मर्ग (सीड एम० हेल्प लाईन) | सेवा पृथक्कीकरण             | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |
| 4    |      |                                      | दीनदयाल शोध संस्थान अरोग्यधाम परिसर | श्री रामजीत यादव                         | सेवा पृथक्कीकरण             | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |
| 5    |      |                                      | श्री गिधलेश पटेल                    | सेवा पृथक्कीकरण                          | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |                             |
| 1    | 2018 | श्री सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट | श्री मनीष उपाध्याय                  | सेवा पृथक्कीकरण                          | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |                             |
| 2    |      |                                      | श्री विष्णुकान्त प्यासी             | सेवा पृथक्कीकरण                          | श्रम न्यायालय में विचाराधीन |                             |
| 1    | 2019 | निरंक                                | निरंक                               | निरंक                                    | निरंक                       |                             |

अनुमाना अधिकारी  
मध्यप्रदेश न्याय,  
श्रम विभाग (शाखा ३)  
मंत्रालय, भोपाल

साहायक श्रमापुस्त  
रीवा संभाग राहना  
३६



न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें न्यूनतम वेतन प्रभावशील है:-

भाग-एक  
अनुसूचित नियोजन

1. किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2. किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3. किसी मार्गों के निर्माण या सभ्हाल वा बदन निर्माण कार्य में नियोजन
4. किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5. किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6. किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संभारण में नियोजन
7. किसी कॅमिकल तथा फार्मास्यूटिकल्स में नियोजन
8. किसी आरा मिल में नियोजन
9. किसी तेल मिल में नियोजन
10. किसी धातल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11. किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन
12. किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्कीम, आईसकैंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13. किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14. किसी दूधान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15. किसी मुद्रणालय में नियोजन
16. किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17. किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18. किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19. किसी चूना भट्टे में नियोजन
20. किसी ईट भट्टे में नियोजन
21. किसी पावर लूम / जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है / में नियोजन
22. किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23. किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24. किसी खांडसारी उद्योग में नियोजन
25. किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, रोमिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर फाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26. किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27. किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28. किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29. किसी रामरज गेरु के निर्माण में नियोजन
30. किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31. किसी बोनमिल में नियोजन
32. किसी टाइल्स, जिसमें बेंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33. किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि. 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन


अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन,  
अस विभाग (शाखा 2)  
मंत्रालय, भोपाल



34. किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा परीक्षण केन्द्र विकृति विज्ञान, (पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला) सम्मिलित है, में नियोजन।
35. किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन।
36. किसी तैयार किये गये (रेडीमेड) वस्त्र विनिर्माण में नियोजन।
37. किसी खदान जैसे कंकड़, गुर्रन, लेट्टाईट, ब्रॉल्डर, प्राबेल शिंगल, साधारण रेती, बिल्लिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त हैं, में नियोजन।
38. किसी आटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजेस में नियोजन।
39. किसी बैकरी में नियोजन।
40. किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) में नियोजन।
41. किसी दूकान तथा याणित्जिक स्थापना में नियोजन।
42. किसी होटल, रेस्टॉरेंट या भोजनालय में नियोजन।
43. किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन।
44. किसी क्लब में नियोजन।
45. किसी आसवणी या किसी अल्कोहलयुक्त पेय निर्माण में नियोजन।
46. किसी अधिवक्ता या अटर्नी के कार्यालय में नियोजन।
47. किसी हेंडर कटिंग सेसुन और ब्यूटी पार्लर में नियोजन।
48. किसी उर्वरक और पेस्टीसाईड्स (कीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन।
49. किसी ड्रीलिंग प्रचालन और दसुबबेल के अनुरक्षण में नियोजन।
50. किसी इलेक्ट्रानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन।
51. किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन।
52. मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन।
53. किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन।
54. किसी आटो रिक्शा और टैक्सी चलाने के कार्य में नियोजन।
55. किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोऑपरेटिव्ह सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव्ह बैंक) में नियोजन।
56. किसी होजयरी में नियोजन।
57. किसी साबून निर्माण (जिसमें डिस्टर्जेन्ट भी सम्मिलित है) में नियोजन।
58. किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन।
59. किसी थ्रिलोना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित हैं, में नियोजन।
60. किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन।
61. किसी कोरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन।
62. किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन।
63. किसी अचार, बड़ी, फ्रायड तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन।
64. दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्य में नियोजन।
65. किसी सफाई कार्य में नियोजन।
66. किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन।
67. किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन।
68. तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन।
69. किसी अंगरबत्ती उद्योग में नियोजन।

#### भाग-दो

##### 1. कृषि में नियोजन

  
 अनुभाग अधिकारी  
 नवम्बर 1977  
 श्रम विभाग (शिक्षण)  
 नज्वाबाद, भोवदा